

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:-ई-20/ग्रा0मस्वाका/(सी-248)/08/

दिनांक:-

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
राजस्थान

विषय- ग्रामीण महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कार्यग्रहण नहीं कराये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय के पत्र संख्या-ई-20/ग्रा0मस्वाका/(सी-248)/08/764 दिनांक-9.6.09 एवं इससे पूर्व के सभी आदेशों का अतिक्रमण करते हुये, मा0 उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा रिट याचिका संख्या-1794/09 में पारित स्थगन आदेश दिनांक-6.3.09 की पालना में ग्रामीण महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्यग्रहण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। फलस्वरूप कार्यग्रहण पर पूर्व से जारी रोक माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन हटने तक जारी रहेगी।

Slr

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-ई-20/ग्रा0मस्वाका/(सी-248)/08/772

दिनांक:- 9.6.09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
3. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन
5. प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान, जयपुर